

अंतिम डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, जिला-उदयपुर
पीठासीन अधिकारी : श्री रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S
मुकदमा नम्बर : 238/24 (वाद) जीसीएमएस : 2024/539

उनवान

1. श्रीमती प्रताबीबाई पत्नी किशोरलाल भील निवासी रेडियाखेडी तह. मावली।

.....वादीयां

बनाम

1. श्री कुबेरनाथ पिता श्यामनाथ चौहान निवासी रेडियाखेडी तह. मावली।
2. श्री महेन्द्रनाथ पिता श्यामनाथ चौहान निवासी रेडियाखेडी तह. मावली।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली।

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

अधिवक्ता उभय पक्षकारान की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 10.02.2025 को रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S. उपखण्ड अधिकारी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और अन्तिम डिक्री दी जाती है कि मौजा रेडियाखेडी पटवार हल्का बांसलिया तह. मावली की जमाबन्दी नकल सम्वत् 2077-80 के खाता सं. 70 पर दर्ज आराजीयात का बंटवाडा निम्नानुसार अन्तिम किया जाता हैं :-

क्र सं.	नाम खातेदार	आ.न.	रकबा	किस्म	लगान
1	कुबेरनाथ महेन्द्रनाथ पिता श्यामनाथ चौहान ही.ब. राजपूत सा. देह खातेदार	123 124 125 127 / 1	0.2428 0.0567 0.5666 0.0729	बा.प्र. बा.प्र. बा.प्र. बा.प्र.	0.27 0.06 0.63 0.08
	योग	किता-4	0.9390	-	1.04
2	प्रताबीबाई पत्नी किशोरलाल भील सा. देह खातेदार	127 / 2	0.2347	बा.प्र.	0.26
	योग	किता-1	0.2347	-	0.26
	कुल योग	किता-5	1.1737	-	1.30

नोट-उक्त अंतिम डिक्री का नक्शा ट्रेस अभिन्न अंग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। यह निर्णय आज तारीख 10.02.2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

